

अत्यावश्यक/ई-मेल/आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग
क्रमांक प. 12(6) शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश /2014 पार्ट

जयपुर दिनांक 25/5/18

- 1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
- 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।

विषय :-आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की वर्ष 2017-18 की फीस की द्वितीय किश्त के पुनर्भरण के संबंध में।

सन्दर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 01.01.2018 एवं निदेशालय, प्रा.शि. का पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/निःशुल्क प्रवेश/2018-19/54 दिनांक 18.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विभागीय आदेश क्रमांक प. 12(6)शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश /2014 पार्ट दिनांक 01.01.18 के अनुसार आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017-18 में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण किया जा रहा है । इस आदेश के बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में केवल प्रथम किश्त का भुगतान प्रोवीजनल किया गया है तथा द्वितीय किश्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जाना है । द्वितीय किश्त के भुगतान से पूर्व 2017-18 के लिए निर्धारित सीपीआई (CPI) एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 के तहत वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क के आधार पर वर्ष 2017-18 के लिए विद्यालय की फीस की गणना की जानी है तथा यदि यह दर विद्यालय को पुनर्भरण की गई फीस की दर से कम आती है तो प्रथम किश्त में अतिरिक्त भुगतान की गई राशि का समायोजन कर ही विद्यालय को द्वितीय किश्त का पुनर्भरण किया जाएगा ।

उक्त आदेश के अनुसार वर्ष 2017-18 की फीस की गणना के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में राजस्थान विद्यालय (फीस विनियमन) अधिनियम, 2016 के तहत वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क में से गत एक वर्ष में बढे सीपीआई से गणना कर वर्ष 2017-18 की फीस तय की जानी है।

उपरोक्तानुसार 2017-18 की फीस की गणना निम्न सूत्र से की जाएगी :-

	31.03.2017 को सीपीआई
फीस अधिनियम, 2016 के तहत	(CPI as on 31-3-17)
वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित X-----	
कक्षा एवं माध्यम वार फीस	(CPI as on 31-3-18)
	31.03.2018 की सीपीआई


उल्लेख है कि 31.3.17 को सीपीआई 275 एवं 31.3.18 को सीपीआई 287 है।

उदाहरार्थ यदि किसी विद्यालय की फीस वर्ष 2018-19 के लिए 10,000/-रु हो तो 2017-18 के लिए फीस की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :-

$$\frac{10,000 \times \frac{275}{287}}{287} = 9581.88 \text{ अर्थात् } 9582/- \text{ रु.}$$

प्रत्येक विद्यालय उक्त प्रकार फीस की गणनाकर एवं दिनांक 01.01.2018 के आदेशानुसार वर्ष 2017-18 के द्वितीय किश्त का दावा प्रपत्र पुनर्भरण हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

भवदीय,


(उमाशंकर त्रिपाठी)
व.शासन उप सचिव


कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/आटीई/सी/निशुल्क प्रवेश/18878/2018-19/60

दिनांक: 25/5/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
2. उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।
4. बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।


उपनिदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर